फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री कान्तिलाल उपाध्याय
निवासी ब्रह्मपुरी मौहल्ला
सांतपुर तहसील आबूरोड
जिला सिरोही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत

किस्म मुकदमा— **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 29 वर्ष 2026

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24.02.2026	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 05.12.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि श्रीमती केसरीबाई पत्नि श्री मेघाजी गरासिया निवासी खडात द्वारा दिनांक 17.01.2020 को सम्पन्न ग्राम पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत खडात आबूरोड से सरपंच पर हेतु नाम निर्देशन पत्र भरा गया था। अतः श्रीमती केसरीबाई द्वारा भरा गया नाम निर्देशन पत्र व पत्र के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/— जमा करा दिए है। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 05.12.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि श्रीमती केसरीबाई पत्नि श्री मेघाजी गरासिया निवासी खडात द्वारा दिनांक 17.01.2020 को सम्पन्न ग्राम पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत खडात आबूरोड से सरपंच पर हेतु नाम निर्देशन पत्र भरा गया था। अतः श्रीमती केसरीबाई द्वारा भरा गया नाम निर्देशन पत्र व पत्र के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड से सम्बन्धित होने से उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा उपरोक्त सूचना अपीलांट को उपलब्ध करवाने हेतु तहसीलदार आबूरोड को जरिए पत्र क्रमांक 212 दिनांक 10.12.2025 के द्वारा लिखा गया, परन्तु तहसीलदार आबूरोड द्वारा उपरोक्त सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर—ए—इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	